प्रकरण संख्या 11/2017 कचना बनाम रकमा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पैत्रृक स्वामित्व व आधिपत्य का सर्वे नंबर 144 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम आडीभीत में स्थित है, जो संवत् 2010 से पूर्व वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के ससुर धुलिया वल्द रतना ढोली के नाम दर्ज है। वादीगण धुलिया के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। संवत् 2018 से 2021 की खसरा गिरदावरी में कांट–फांस कर वादीगण के कब्जे शुदा उक्त आराजी नंबर का नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 30.06.1962 खोला जाकर वादीगण के मूल पुरूष धुलिया को फरार घोषित कर दिया एवं संवत् 2022 से 2025 में भूमि बिलानाम दर्ज कर दी। संवत् 2024 में धुलजी वल्द रतना का हवाला दिया गया है एवं इसी खसरा गिरदावरी के विवरण में धुलजी पिता रतना के नाम में कांट–फांस कर धुलजी पिता सवला ढोली अंकित कर दिया। प्रतिवादीगण के पिता का नाम धुलजी पिता सवला ढोली है। वादीगण के मूलपुरूष अनपढ़ होने से प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त कांट–फांस करवायी है। कब्जा आज भी वादीगण का चला आ रहा है। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.10.2016 से वादीगण का वाद खारिज कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर दिनांक 03.02.2017 को अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री राजीव जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा माह दिसम्बर ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर दिनांक 20.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कार्यवाही नहीं कर प्रकरण लोक अदालत में रखकर भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट मंगवाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के पूर्वजों को बिना किसी आधार के फरार बताया गया है। रेस्पोन्डेन्ट का कोई कब्जा नहीं है, अपीलान्ट आज भी मौके पर काबिज है, कब्जे के बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 11/2017 कचना बनाम रकमा

हुई कांट–फांस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 894, आर.एल.डब्ल्यू. 1997 (2) राज. पेज 1304 एवं आर.आर.डी. 1999 पेज 112 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) संवत् 2010 से 2013 के कोलम संख्या 6 में धुलिया वल्द रतना ढोली का नाम अंकित है। इसी प्रकार का अंकन खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) संवत् 2014 से 2017 प्रदर्श 2 में किया हुआ है, किन्तु प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) संवत् 2018 से 2021 में धुलिया वल्द रतना ढोली का नाम काट कर उसे फरार बताकर बिलानाम सरकार अंकित कर दिया गया है, जबकि तीन वर्ष खेतों में बुवाई हुई है तथा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 894 अनुसार यदि कोई व्यक्ति रोजी रोटी के लिए कुछ वर्षो के लिए बाहर जाता है तो उसे फरार नहीं माना जा सकता। प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) संवत् 2022 से 2025 के कोलम संख्या 32 एवं 40 में धूलजी पिता रतना के नाम का अंकन है, जिसे काटकर रतना के स्थान पर सवा किया गया है, जिसके आधार पर प्रदर्श 5 खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) संवत् 2026 से 2029 में धूलजी पिता सवला ढोली का अंकन किया हुआ है। दिनांक 13.06.1970 को सरपंच द्वारा नामान्तरकरण संख्या 36 तस्दीक किया गया है, परन्तु धूलजी पिता सवला को इससे पूर्व ही खातेदार कृषक मान लिया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों से उत्पन्न संशय की स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्णय दिया जाना चाहिए था तथा आवश्यकतानुसार तनकी कायम की जानी चाहिए थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर मात्र भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण उपलब्ध साक्ष्यों पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सनुकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
अतिरिक्त अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:22 IST
Reason: SelfAttested